

व्यापारियों को बताए GST संशोधनों के फायदे

मनीष सिसोदिया ने CTI के नेतृत्व में सचिवालय में व्यापारियों के साथ की बैठक

■ विस, नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में हाल ही में दिल्ली जीएसटी संशोधन विधेयक 2021 बिल पास हुआ है और व्यापारियों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली सचिवालय में अलग-अलग बाजारों के करीब 50 प्रमुख व्यापारी नेताओं से मुलाकात की। जीएसटी संशोधन विधेयक में 15 संशोधन किए गए हैं और उपमुख्यमंत्री ने इन संशोधनों के बारे में व्यापारी नेताओं को विस्तार से बताया।

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल के नेतृत्व में

व्यापारियों ने जीएसटी संशोधनों के जरिए राहत के लिए दिल्ली सरकार का किया धन्यवाद



बैठक में अलग-अलग बाजारों के करीब 50 प्रमुख व्यापारी नेता पहुंचे थे

व्यापारी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली सचिवालय में हुई इस मीटिंग में शामिल हुआ। कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, लाजपत नगर, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, करोल बाग, खारी बावली, कनोट प्लेस, साउथ एक्स, नेहरू प्लेस, कमला नगर, लक्ष्मी नगर, शाहदरा, राजौरी गार्डन, सरोजिनी

नगर बाजारों के व्यापारियों ने हिस्सा लिया। जीएसटी एक्सपर्ट सीए राकेश गुप्ता ने बताया कि संशोधनों के बारे में व्यापारियों को जानकारी दी। पहले व्यापारियों को हर साल जीएसटी ऑडिट करना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएसटी ऑडिट से व्यापारी काफी परेशान

थे और उन पर काफी आर्थिक बोझ भी पड़ रहा था लेकिन जीएसटी ऑडिट की अनिवार्यता खत्म होने से लाखों व्यापारियों को राहत मिलेगी। ऑडिट खत्म होने से देश की ट्रेड इंडस्ट्री को 30 हजार करोड़ रुपये का लाभ होगा।

पहले जीएसटी 3B लेट हो जाने पर पूरे आउटपुट टैक्स पर ब्याज का नियम था। अब सेक्शन 50 में बदलाव के बाद सिर्फ नेट कैश लायबिलिटी पर ब्याज देना होगा। पहले माल रोके जाने या जब्ती के मामले में टैक्स और जुर्माना देने का प्रावधान था, अब व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स को राहत दी गई है। बोगस फर्म बनाकर जीएसटी की चोरी हो रही थी, उसको रोकने के लिए नियम कड़े कर दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों के लिए दिल्ली सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं।